

किले, हवेलियाँ और आर्किटेक्चर्स हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से भारत सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह इसके बारे में कोई योजना बनाएगी और इस सदन को आश्वस्त करेगी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों, हजारों साल के ऐसे किले, पैलेसेज एवं मॉन्यूमेंट्स संरक्षित होंगे और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा?

MR. CHAIRMAN: The question is on Rajasthan.

श्री श्रीपद यसो नायक : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जब तक उनके बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और उन्हें सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम उन्हें नोटिफाई नहीं कर पाएँगे। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जो ऐसे साइट्स हैं, उनकी सूची कृपया हमारे पास भेज दें। हम उन्हें एप्जामिन करके आगे की कार्रवाई करेंगे।

तटीय सुरक्षा को बढ़ाये जाने हेतु उठाए गए कदम

*125. **श्री नरेश अग्रवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए हमले के बाद तटीय सुरक्षा बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पूर्वी और पश्चिमी तट पर 24 घंटे निगरानी और गश्त के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ। 26 नवम्बर, 2008 की मुम्बई की घटना के पश्चात देश के समुच्चे तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत सरकार द्वारा बहुस्तरीय एवं अंतरमंत्रालयी समीक्षा की गई है और इस संबंध में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें की गई हैं:

- तटीय सुरक्षा योजना का उस समय चल रहे चरण-I का कार्यान्वयन 31.03.2011 को पूरा हो गया है।
- तटीय सुरक्षा योजना के सुभेद्र्यता/कमी का विश्लेषण किया गया है और 1580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II का कार्यान्वयन सरकार द्वारा 01.04.2011 से अनुमोदित किया गया है।
- भारतीय नौसेना को समग्र समुद्रीय सुरक्षा के संबंध में उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है।
- भारतीय तटरक्षक को देश की तट रेखा पर 0 से 200 नॉटिकल मील की समग्र सुरक्षा हेतु उत्तरदायी नोडल प्राधिकरण बनाया गया है।

- महानिदेशक तटरक्षक को तटीय कमान के कमांडर के रूप में अभिहित किया गया है और उन्हें तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्य और केंद्रीय एजेन्सियों के बीच समग्र समन्वय हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- भारतीय नौसेना ने विभिन्न एजेन्सियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान करने और समुद्र में कार्रवाई योग्य आसूचना पर कार्रवाई करने हेतु मुम्बई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त अभियान केंद्र स्थापित किए हैं।
- भारतीय तट रक्षक ने कारवार, रत्नागिरी, वडिनार, मिनीकोय, हटबे, एन्ड्रोथ, कराक़इल, गोपालपुर और निजापट्टनम में 9 अतिरिक्त स्टेशन स्थापित किए हैं।
- भारतीय तटरक्षक द्वारा मुख्य भूमि और द्वीपसमूहों में 46 स्थानों पर स्थायी (स्टेटिक) राडार लगाए गए हैं।
- तटीय सुरक्षा में शामिल केंद्र और राज्य एजेन्सियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अन्य रटेकहोल्डरों के साथ मिलकर भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं।
- तटीय जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
- मछुआरों सहित तटीय गांवों के सभी लोगों को बहु-प्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी किए जा रहे हैं।
- सभी प्रकार के मत्स्ययन जलयानों का पंजीकरण किया जा रहा है।
- सभी प्रकार के जलयानों में नौवहन से संबंधित उपस्कर और संचार उपकरण स्थापित करने/उनका प्रावधान करने का कार्य शुरू किया गया है।
- मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित 'नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेथनिंग मेरीटाइम एण्ड कॉस्टल सिक्योरिटी अगेस्ट थ्रोट फ्राम सी' (एनसीएसएसीएस) तटीय सुरक्षा संबंधित मुद्दों की मॉनीटरिंग कर रही है।
- तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा संबंधी संचालन (स्टीयरिंग) कमेटी गठित की गई है।
- एनसीएसएसीएस एवं संचालन (स्टीयरिंग) कमेटी की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर कार्यान्वयन के संबंध में गहन रूप से अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

(ख) से (घ) भारतीय तटरक्षक द्वारा पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चौबीसों घंटे निगरानी और गश्त सहित समुद्र मार्ग से होने वाले खतरों के प्रति बेहतर सुरक्षा तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- समुद्र में प्रतिदिन 19-22 जहाजों की निरंतर तैनाती की जा रही है।
- जनवरी, 2009 से जून, 2014 के बीच 100 तटीय सुरक्षा अभ्यास और 117 तटीय सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए हैं।

- समुद्री हवाई निगरानी के लिए औसतन 7-8 हवाई जहाज प्रतिदिन तैनात किए जा रहे हैं।
- 46 राडार शृंखला, स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस), ऑप्टिकल सेंसर स्टेशन को शामिल करते हुए तटीय निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) प्रख्यापित की गई हैं। इन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का प्रत्येक तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आयोजित होने वाले अर्धवार्षिक सुरक्षा अभियान के दौरान वैधीकरण किया जाता है।
- सूचना प्रवाह हेतु तटीय पुलिस थाने तट रक्षक स्टेशनों के साथ मिलकर 'हब एण्ड स्पोक' अवधारणा के तहत काम करते हैं।

Steps taken to enhance coastal security

†*125. SHRI NARESH AGRAWAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

- (a) the steps taken to enhance the coastal security after the attack in Mumbai on 26 November, 2008;
- (b) whether the arrangements have been made for 24 hour monitoring and patrolling of the eastern and western coasts;
- (c) if so, the details available with the Government in this regard; and
- (d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJ NATH SINGH) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Subsequent to the Mumbai incident of 26 November, 2008, the entire coastal security scenario of the country has been subjected to multi-level inter-ministerial review by the Government of India and several important decisions/initiatives have been taken as per the details given below:

- Implementation of the then ongoing Phase-I of the Coastal Security Scheme was completed on 31.03.2011.
- Vulnerability/gap-analysis of Coastal Security was carried out and the Phase-II of the Coastal Security Scheme with an outlay of Rs.1580 crore was approved by the Government for implementation with effect from 01.04.2011.

†Original notice of the question was received in Hindi.

- The Indian Navy has been designated as the Authority responsible for overall Maritime Security.
- Indian Coast Guard has been made the nodal authority responsible for overall security of the coastline in the country from 0 to 200 nautical miles.
- Director General, Coast Guard has been designated as Commander of Coastal Command and made responsible for overall coordination between the State and the Central Agencies in all the matters relating to coastal security.
- The Indian Navy has established four Joint Operation Centres at Mumbai, Visakhapatnam, Kochi and Port Blair for sharing intelligence among various agencies and acting on actionable intelligence at sea.
- The Indian Coast Guard has established nine additional stations at Karwar, Ratnagiri, Vadinar, Minicoy, Huti Bay, Androth, Karaikal, Gopalpur and Nizamapatnam.
- Static Radars on 46 locations have been installed by the Indian Coast Guard along mainland and islands.
- Joint coastal security exercises are being conducted by the Indian Coast Guard in coordination with the other stake-holders to create synergy between the Central and the State agencies involved in the coastal security.
- Preparation of National Population Register (NPR) for coastal population has been initiated.
- Issuance of Multi-purpose National Identity Cards (MNICs) to all the population in the coastal villages including fishermen has been initiated.
- Registration of all types of fishing vessels has been initiated.
- Fitment/provision of navigational and communication equipments on all type of vessels has been initiated.
- “National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security against Threats from the Sea” (NCSMCS) constituted under the Chairmanship of Cabinet Secretary is monitoring the coastal security related issues.
- Steering Committee for Review of Coastal Security has been constituted in the Ministry of Home Affairs to review the coastal security related issues.
- The various decisions taken in the NCSMCS and Steering Committee meetings are being closely followed up for implementation.

(b) to (d) Significant measures have been undertaken by the Indian Coast Guard for 24-hour monitoring and patrolling of the Eastern and Western Coasts as well as for enhanced security mechanism against sea-borne threats, details of which are as under:

- Sustained deployment of 19-22 ships per day at sea has been made;
- 100 Coastal Security Exercises and 117 Coastal Security Operations have been conducted since January, 2009 to June, 2014;
- On an average 7-8 aircrafts are deployed daily for maritime aerial surveillance;
- Coastal Surveillance Network comprising of a chain of 46 radars, Automatic Identification System (AIS), Optical Sensor Stations has been established;
- Standard Operating Procedures (SOPs) for Coastal Security to all coastal States/Union Territories have been promulgated. These SOPs are validated during Coastal Security Exercises conducted bi-annually for each coastal State/Union Territory;
- Coastal Police Stations function under ‘Hub and Spoke’ concept with Coast Guard Stations for information flow.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वैश्चन किया था, लेकिन जवाब इतना वेग आया कि ऐसा लग रहा है कि जैसा बीजेपी का घोषणापत्र था, वैसा हमें जवाब दे दिया गया। मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछा था।

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary question.

श्री नरेश अग्रवाल : अभी 7 जून, 2014 को माननीय डिफेंस मिनिस्टर तटीय एरिया में गए थे। उन्होंने वहाँ बयान दिया कि तटीय निगरानी नेटवर्क की स्थापना का क्रियान्वयन अन्तिम चरणों में है और सरकार की प्राथमिकता पर है। मैंने यही पूछा था कि 2008 के हमले के बाद हमारे देश के जितने तटीय इलाके हैं, क्या वहाँ पर हमने इतनी सुरक्षा कर ली है कि भविष्य में कोई आतंकवादी अटैक न कर सके या कोई फॉरेन कंट्री देश पर अटैक न कर सके? जैसे पोर्ट ब्लेयर, कोच्ची, विशाखापत्तनम, मुम्बई, कोलकाता, अंडमान निकोबार आदि इलाके हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे स्पेसिफिक जवाब चाहता हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या सदन के माध्यम से आप देश को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में नहीं घुस सकेगा और कोई विदेशी हमला नहीं होगा? आपकी पन्डुब्बी झूबती जा रही है। रशियन टेक्नोलॉजी है, जो पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली बताइए कि आपने इन सब चीजों को रोकने के लिए उन तटों पर क्या-क्या व्यवस्था की है या क्या करने जा रहे हैं, जिनसे भविष्य में हिन्दुस्तान पर हमला न हो सके?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि मैं अभी किसी कोस्टल एरिया में नहीं गया हूँ। हाँ, लेकिन मैं भविष्य में निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा।

श्री नरेश अग्रवाल : मैंने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहा था।

श्री राजनाथ सिंह : अच्छा ।

श्री शान्ताराम नायक : क्या आप गुजरात नहीं गए थे?

श्री राजनाथ सिंह : लेकिन मैं कोस्टल एरिया में नहीं गया था ।

सभापति महोदय, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने यह जानना चाहा है कि 26.11.2008 के बाद कोस्टल सिक्योरिटी के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसकी जानकारी देना चाहूँगा कि 26.11.2008 के पहले कोस्ट गार्ड के तीन रीजनल हेडक्वार्टर्स थे, लेकिन अब कोस्ट गार्ड की स्ट्रेथेनिंग के बाद हमारे पाँच रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जिनमें दो नए रीजनल हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं - एक गाँधी नगर में और दूसरा कोलकाता में। पहले केवल 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे, लेकिन 26/11 के बाद अब 14 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी शामिल हैं। इसमें पोर्ट ब्लेयर, पुदुच्चेरी और कवरत्ती में स्थापित किए गए 3 नये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी शामिल हैं। पहले 22 कोस्ट गार्ड स्टेशंस थे, अब 42 कोस्ट गार्ड स्टेशंस हैं, इसमें 20 नये स्टेशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं।

सभापति महोदय, पहले कोस्टल सिक्योरिटी के लिए 8 एअर एस्टेब्लिशमेंट्स थे, अब 12 एअर एस्टेब्लिशमेंट्स निश्चित कर दिए गए हैं। पहले हमारे पास केवल 61 शिप्स थे, अब उनकी संख्या बढ़ा कर 95 कर दी गई है। इसके अलावा लगभग 100 ऐसे शिप्स भी हैं, जो वेरियस स्टेजिज पर कंस्ट्रक्शन के प्रॉसेस से गुजर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट के शिपिंग याड़र्स भी हैं, साथ ही साथ प्राइवेट शिपिंग याड़र्स भी हैं। इन दोनों को मिला कर लगभग 100 शिप्स तैयार करने का काम इस समय चल रहा है।

जहां पहले हमारे पास 46 एअरक्राफ्ट थे, अब उनकी संख्या बढ़ कर लगभग 64 हो गई है। यदि हमारे माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और अधिक जानना चाहते हैं, तो इनके डिप्लॉयमेंट के बारे में भी उन्हें बता दिया जाएगा।

श्री नरेश अग्रवाल : मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप स्वयं संतुष्ट हैं कि अब हमारे कोस्टल एरियाज पर कोई अटैक नहीं होगा? आप हमें बस इतना ही बता दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं इस सदन को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है, वह हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

श्री सभापति : दूसरा साप्लिमेंट्री।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मेरी जगह माननीय राम गोपाल जी प्रश्न पूछेंगे।

श्री सभापति : नहीं, यह आपका प्रश्न है।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय गृह मंत्री जी, कैग ने 2013 में जो रिपोर्ट दी है, उसमें गुजरात, जो आपका झीम प्रोजेक्ट है, जो आपका फ्यूचर है, उस गुजरात के बारे में अपनी रिपोर्ट में दिया है कि गुजरात में तटीय सुरक्षा का जो प्रबन्ध है, वह पूरी तरह फेल्योर है। मेरे पास कैग की पूरी रिपोर्ट है। कैग ने 2013 में यह रिपोर्ट दी है। गुजरात तो आपका झीम प्रोजेक्ट है या आपका मॉडल है। चूंकि सब लोग बोलते हैं कि हम अपने प्रधान मंत्री जी के सपनों के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कैग की

रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की तटीय सुरक्षा के सम्बन्ध में जो कमियां बताई गई हैं, क्या उन कमियों को आपने स्टडी किया है ? स्टडी करने के बाद क्या पूरे देश में आपने उन कमियों को दूर करने का प्रबन्ध किया?

मैं आपसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को आप यह बताएं कि क्या हिन्दुस्तान की नौ-सेना या हिन्दुस्तान की तीनों सेनाएं आपस में मिल कर इतनी सक्षम हैं कि भविष्य में तटीय माध्यम से कोई आतंकवादी या कोई भी अन्य देश हिन्दुस्तान पर हमला नहीं कर सकेगा? इस प्रश्न का मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें।

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, शायद कैग की कोई रिपोर्ट थी, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि कैग की उस रिपोर्ट को मैंने नहीं पढ़ा है। गुजरात स्टेट गवर्नर्मेंट की परफार्मेंस को जो अब तक हमने देखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यदि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ भी प्वाइंट आउट किया होगा, अगर उसमें कहीं पर कोई लैकूना है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी है, तो स्टेट गवर्नर्मेंट ने अपनी तरफ से उसे दूर करने की भरपूर कोशिश की होगी।

महोदय, जहां तक कोस्टल सिक्योरिटी का प्रश्न है, यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। जब हम गवर्नर्मेंट में नहीं आए थे, उस समय पहले भी इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी के द्वारा इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी करवाई गई थी।

इसीलिए हमारे इलेक्शन मेनिफेस्टो में और साथ ही साथ प्रेजिडेंशियल स्पीच में भी हमने इस बात की चर्चा की है कि कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम एक नेशनल मैरिटाइम एथोरिटी भी सेटअप करेंगे।

श्री राजीव शुक्ल : धन्यवाद, सभापति जी। चूंकि यह प्रश्न मुम्बई हमले से सम्बन्धित है, मुम्बई हमला बहुत ही घातक था। दोबारा इस तरह का हमला न हो, इस तरह का हमारा प्रयास होना चाहिए। उस हमले के पीछे कौन लोग थे, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हाफिज सईद को लेकर इन दिनों एक प्रकरण चल रहा है, उसमें भी हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, फिर से इसमें एक नयी बात आई है, जो मुम्बई हमले के मुतालिक है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, सुर्धीद्र कुलकर्णी जी ने लिखा है कि वे भी इस मामले में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करने पाकिस्तान गये थे और उस समय वे भी वहां मौजूद थे। तो आप कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए हैं ताकि मुम्बई जैसा हमला दोबारा न हो। यह बीच में क्या hobnobbing हो रही है या आपस में क्या मिलीभगत चल रही है, यह जरा मुझे बताइए?

श्री सभापति: यह आपका सवाल है?

श्री राजीव शुक्ल : मैं यह सरकार से जानना चाहता हूँ, ताकि मुम्बई जैसा हमला दोबारा रिपीट न हो, जबकि आपको पता है कि पिछली बार भी मुम्बई हमले के सारे आतंकवादी गुजरात होकर आए थे।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री राजीव शुक्ल : सर, सवाल यही है कि ये जवाब दें कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हाफिज सईद के साथ चल रही है या नहीं चल रही है। ...**(व्यवधान)**... सुर्धीद्र कुलकर्णी का नया स्टेटमेंट आया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य श्री राजीव शुक्ल जी ने पूछा, उसे मैं प्रश्न कर्या कहूँ, जो कुछ भी वे कहना चाहते थे, उन्होंने इस प्रश्न में कहने की कोशिश की है। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहने की कोशिश की है। लेकिन, मैं अपनी सरकार के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार कभी भी hobnobbing नहीं करती है। इश्यूज के बारे में हमारा विज्ञ परफेक्टली विलयर है, पूरी तरह से। यदि हमको इश्यूज के सम्बन्ध में, प्रॉब्लम्स के सम्बन्ध में जानकारी हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है, वह हमारी सरकार करती है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Balagopal.

श्री राजीव शुक्ल : सर, ...**(व्यवधान)**... कुलकर्णी जी वाला जवाब नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**... वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: That is not the issue. ...*(Interruptions)*... आप बाद में पूछ लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... Please go ahead. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, the coastal security situation is very alarming. coastal security means, I think, protection not only from the terrorist groups but also the protection of Indian workers who are working in the sea. Sir, recently, there were cases of collision of foreign vessels and national vessels with fishermen, and it is a continuous process. The Italian issue was also discussed. Sir, this situation is there because of lack of enough security personnel and coastal guards in the sea. There is lack of vessels, ships and small boats for the security personnel. That is why the Coastal Security Force cannot work. I want to know from the hon. Minister whether the Government would look into the matter and take necessary steps to increase the number of personnel and surveillance in the coastal area to protect the Indian fishermen working in the sea.

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, जहाँ तक कोस्टल सिक्युरिटी इन्श्योर करने का प्रश्न है, तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग 7,516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। इसके अंतर्गत हमारे लगभग 9 स्टेट्स आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। जहाँ तक ज्ञोन का प्रश्न है, सिक्युरिटी को ध्यान में रखते हुए इसका डिवीजन किया गया है। एक तो टेरिटोरियल ज्ञोन होता है, जिसकी दूरी लगभग जीरो नॉटिकल माइल से लेकर लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। इसे हम टेरिटोरियल ज्ञोन मानते हैं। इसके बाद 12 से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक को हम काटीन्युअस ज्ञोन मानते हैं। 24 से लेकर 200 तक जो होते हैं, वे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज्ञोन्स होते हैं और जो 200 से लेकर आगे के होते हैं, उनको हाई ज्ञोन मानते हैं। इस प्रकार का डिवीजन किया गया है।

हम लोगों ने इंटेलिजेंस सिस्टम को भी स्ट्रेंथेन करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। जैसे, हम लोगों ने कोस्टल स्टेटिक राडार की व्यवस्था की है, 4 ज्वायंट ऑपरेशन सेंटर्स स्टेटिक्स किए हैं, जहाँ पर नेवी, कोस्ट गार्ड और साथ ही साथ स्टेट की जो मेरिन पुलिस होती है, ये सब पूरी तरह से तैनात हैं और कस्टम आदि से भी रिलेटेड जो हमारी एजेंसीज हैं, वे एजेंसीज भी वहाँ पर काम कर रही हैं। वहाँ पर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की भी व्यवस्था की गई है। पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक नेशनल कमांड कंट्रोल और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन सेंटर पर भी इस समय बहुत ही तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है।

जहाँ पर इंडियन नेवी, कोस्टगार्ड, शिपिंग और मेरीन पुलिस के जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए और सुरक्षा को बेहतर कराने के लिए हम समय-समय पर वहाँ पर इसकी स्टडी भी करते रहते हैं कि कहाँ पर कोई कमी रह गई है तथा उस कमी को दूर करने के लिए अभी हमें और कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए हमने boots on the ground क्या किया है। हमारी होम मिनिस्ट्री ने कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम फेज वन का काम, तब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, पूरा कर दिया है। जिसमें approximately more than 600 crores रुपया खर्च हुआ है। फेज-II का काम चल रहा है। 2016 तक हम इस काम को निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जिसमें कि इंडियन नेवी है और साथ ही कोस्ट गार्ड है, इन दोनों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इनका एप्पॉवरमेंट कैसे हो सकता है, उस संबंध में भी हमारी गवर्नमेंट कुछ प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही साथ पैट्रोलिंग को बढ़ाने के संबंध में भी हमने विचार किया है। केवल पैट्रोलिंग करने से कोस्टल सिक्युरिटी एन्श्योर नहीं होगी, इसलिए सभापित महोदय, उस कोस्ट लाइन के किनारे रहने वाले हमारे फिशरमैन के जो गावं हैं, उन गावों में भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके उनको आइडेंटिटी कार्ड देना और साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन कैसे हो, क्योंकि उनको भी हम एक स्टेकहोल्डर मानते हैं, तो इन सारी चीजों पर हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

श्री दिव्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार ने कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम के अंतर्गत फेज-I मंजूर किया, फिर फेज-II मंजूर किया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि फेज-I और फेज-II में कितनी राशि उन्होंने गुजरात सरकार को दी और उसमें से कितना खर्च हुआ?

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, राशि भी मैं इसमें बता सकता हूँ। गुजरात के साथ-साथ सभी राज्यों के ऊपर हमारी नजर रहती है। ...*(व्यवधान)*...

श्री दिव्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : आप जवाब सुन लीजिए।

श्री दिव्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न इसलिए है, क्योंकि मुम्बई के जो हमलावर थे, वे पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते से आए थे। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप जवाब सुन लीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, eligible amount as per the Coastal Security Scheme Phase-II के संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि गुजरात को 1104 लाख रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, महाराष्ट्र को 648 लाख, गोवा को 384.80 लाख, कर्णाटक स्टेट ...*(व्यवधान)*... माननीय सभापति महोदय, अगर और स्टेट्स के बारे में भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो वह भी मैं बतला देता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: My question was only about Gujarat.

MR. CHAIRMAN: He is giving you the information. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैंने गुजरात के बारे में बता दिया कि गुजरात को इसके लिए केवल 11 करोड़ रुपए दिए गए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my question was simple to how much money was allocated to the State of Gujarat in Phase-I and...

MR. CHAIRMAN: He has answered it. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: No, he has not answered it. ...*(Interruptions)*... He has not answered it. ...*(Interruptions)*... My question is very specific. ...*(Interruptions)*... May I repeat, Sir?

माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि फेज-1 में कितना गुजरात को ऐलोकेशन हुआ, कितना खर्च हुआ और फेज-2 में कितना ऐलोकेशन हुआ, कितना खर्च हुआ? महाराष्ट्र और गोवा का मेरा प्रश्न है ही नहीं।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, फेज-1 में कितना खर्च हुआ, हर स्टेट के अलग-अलग आंकड़े गुजरात सिहत, फेज-2 के लिए कितना ऐलोकेशन हुआ है गुजरात सिहत सभी राज्यों के लिए, मैं समझता हूँ कि इस संबंध में जो भी जानकारी हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं, उनको यह जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा, व्यक्तिगत बातचीत करके भी उपलब्ध करा सकता हूँ, साथ ही साथ लिख कर भी उपलब्ध करा सकता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Answer will be given to you. ...*(Interruptions)*... Please.

श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी: सर, मत्री लोग तैयारी से नहीं आते हैं। ...**(व्यवधान)**...

Abating pollution from Daman Ganga River

*126. SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of further action taken as on date by Daman and Diu Union Territory Administration in consultation with the State Government of Gujarat to submit a joint comprehensive proposal to the Ministry of Environment and Forests under the National Conservation of River Plan to abate pollution from Daman Ganga river;

(b) Whether the Union Territory Administration approached the State Government of Gujarat in this connection during last six months; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Union Territory Administration of Daman & Diu received Guidelines from the Ministry of Environment & Forests, New Delhi to prepare a comprehensive plan